चेक संग्रह नीति

AXIS BANK

चेक संग्रह नीति

परिचय

चेक संग्रह नीति, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और उच्च प्रदर्शन मानकों को स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों का प्रतिबिंब है। यह नीति पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएं और सुविधा प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति दस्तावेज़ में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

चेक संग्रह नीति के पहलू

- भारत के भीतर और विदेशी केंद्रों पर स्थानीय रूप से देय चेक और अन्य लिखतों का संग्रहण।
- बाहरी चेक
- लिखतों के संग्रह के लिए समय मानदंड
- उन मामलों में ब्याज का भुगतान जहां बैंक बाहरी लिखतों की प्राप्तियों की वसूली के लिए समय मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है।
- बैंक खाते में खाते में भुगतान योग्य चेक का संग्रह
- पारगमन में खोए संग्रहण लिखतों से व्यवहार करना।

1. संग्रहण की व्यवस्थाएं

A. स्थानीय चेक -

a. स्थानीय रूप से देय सभी चेक और अन्य परक्राम्य लिखत केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। शाखा काउंटरों पर और शाखा परिसर के भीतर संग्रह बक्सो में निर्दिष्ट कट-ऑफ समय से पहले जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। चेक डिपॉजिट कियोस्क में कट-ऑफ समय के बाद जमा किए गए चेक अगले समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे। बैंक की नीति के तहत, बैंक ग्राहक खाते में उसी दिन क्रेडिट देगा जिस दिन अंतिम समाशोधन निपटान होता है या समाशोधन हेतु उनकी प्रस्तुति के अगले कार्य दिवस पर जरूर क्रेडिट देगा। इस प्रकार जमा की गई राशि की निकासी क्लियरिंग हाउस के चेक रिटर्न शेड्यूल के अनुसार की जाएगी।

b. कागज आधारित समाशोधन प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू किया गया था। जुलाई 2008 से, न्यू डेल्ही बैंकर्स क्लियरिंग हाउस के सभी सदस्य बैंक सीटीएस में भाग ले रहे हैं। सीटीएस को बाद में चेन्नई और मुंबई में ग्रिड मॉडल में लागू किया गया था, जिसमें संबंधित क्षेत्रों के तहत विभिन्न राज्य / शहर ग्रिड के माध्यम से भाग लेते हैं। तदनुसार, अखिल भारतीय सीटीएस प्रचालनों को अब केवल तीन ग्रिडों अर्थात् दक्षिण/पश्चिम/उत्तर के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है।

c. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं RBI/2020-21/107 DPSS.CO.RPPD.No.SUO 21102/04.07.005/2020-21 दिनांक 15 मार्च, 2021 के अनुसार, बैंकों को 30 सितंबर, 2021 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) का विस्तार करने का निर्देश दिया जाता है। बैंक अपनी पसंद का मॉडल अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे कि प्रत्येक शाखा में उपयुक्त बुनियादी ढांचे का परिनियोजन करना या हब और स्पोक मॉडल आदि का पालन करना और संबंधित बैंकों को इसे संचालित करने के लिए आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ समन्वय करना होगा।

d. चेकों की इमेजिंग और ट्रंकेशन की शुरुआत के साथ, लिखतों की भौतिक आवाजाही को रोक दिया गया है और चेक की छवियों और डेटा की इलेक्ट्रॉनिक आवाजाही निपटान की प्रक्रिया को तेज करेगी और अंततः समाशोधन चक्रों को रुपांतरित कर देगी। ग्रिड समाशोधन से सीमाएं सुनिश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी और इंटरसिटी समाशोधन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, इस प्रकार स्थानीय चेकों के साथ-साथ विभिन्न शहरों में चेक के मूल्य की प्राप्ति करना संभव होगा।

e. सीटीएस समाशोधन के लाभों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:
- तेज समाशोधन चक्र
- बेहतर मिलान/सत्यापन प्रक्रिया
- बेहतर ग्राहक सेवा। ग्राहक विंडो की बढ़ी हुई क्षमता।
- स्थानीय और इंटरसिटी समाशोधन चेकों के लिए टी + 0
- क्लियरिंग हाउस के अधिकार क्षेत्र को पूरे देश तक बढ़ाया जा सकता है - कोई भौगोलिक निर्भरता नहीं रहती
- लेन-देन लागत कम हो जाती है
- ट्रांसमिशन मार्ग को सुरक्षित करके परिचालन जोखिम कम करता है
- ग्रिड समाशोधन से सीटीएस गतिविधियों का केंद्रीकरण संभव होता है जिससे बड़े पैमाने पर कार्य संचालन के आर्थिक लाभों और लागत प्रभावशीलता की प्राप्ति होती है।

f. स्वीकृति का समय - काउंटर के साथ-साथ चेक ड्रॉप बॉक्स में शाखा के व्यावसायिक घंटों के दौरान चेक स्वीकार किए जाएंगे। काउंटर पर चेक जमा किए जाने पर ग्राहक को पावती दी जानी चाहिए, अथवा चेक डिपॉजिट कियोस्क (चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध) पर चौबीसों घंटे चेक जमा किए जा सकते हैं।

g. अन्य बैंकों पर तैयार किए गए स्थानीय चेकों (स्थानीय समाशोधन) के लिए संग्रह समय - संग्रह के लिए चेक भेजने का कट-ऑफ समय प्रत्येक स्थान/ शाखा के लिए प्रत्येक स्थान पर क्लियरिंग हाउस द्वारा प्रदान किए गए कट-ऑफ समय के आधार पर तय किया जाएगा। ग्राहकों के लिए शाखाओं/ ड्रॉप बॉक्स पर कट-ऑफ समय प्रदर्शित किया जाएगा।
स्थानीय चेकों के लिए, स्थानीय समाशोधन हेतु समय सीमा लागू होगी। खाताधारक को केंद्र में प्रचलित रिटर्न समाशोधन मानदंडों के अनुसार कट-ऑफ समय के बाद धन निकालने की अनुमति है।
बैंक की अपनी शाखाओं पर तैयार किए गए स्थानीय चेकों (ट्रांसफर चेक) के लिए संग्रह का समय

काउंटर पर और शाखा ड्रॉप बॉक्स में जमा किए गए चेक	उसी दिन (केवल कार्य दिवसों पर उपलब्ध)

B. बाहरी चेक

a. बाहरी केंद्रों पर अन्य बैंकों पर आहरित लिखे गए चेक सामान्य रूप से उन केंद्रों पर बैंक की शाखाओं के

माध्यम से संग्रह किए जाएंगे। जहां बैंक की अपनी शाखा नहीं है वहां लिखत सीधे आहरणी बैंक को संग्रह के लिए भेजा जाएगा या संवाददाता बैंक के माध्यम से संग्रह किया जाएगा।

b. बाहरी केंद्रों पर बैंक की अपनी शाखाओं पर तैयार किए गए चेक प्रचलित अंतर-शाखा व्यवस्था का उपयोग करके संग्रह किए जाएंगे। बैंक की 'कहीं से भी बैंकिंग' सेवाओं के एक भाग के रूप में, ग्राहकों को बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित किए जाने के लिए लिखे गए चेकों के लिए उसी दिन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं/प्रभारों के अध्यधीन होगा।

c. बाहरी चेक की परिभाषा में बैंक पर ही तैयार किया गया डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, ब्याज वारंट और लाभांश वारंट शामिल नहीं हैं।

C. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित विशेष समाशोधन

a. वित्तीय वर्ष के लिए सभी सरकारी लेनदेन के लेखांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को उसी दिन रिटर्न समाशोधन करके केंद्र और राज्य सरकार के खातों में विशेष समाशोधन करता है।
b. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र जारी किया जाता है, जिसमें सभी सदस्य बैंकों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए सभी सरकारी लेनदेनों के लेखांकन को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया जाता है।
c. सभी सदस्य बैंकों के लिए विशेष समाशोधन में भाग लेना अनिवार्य होता है,
d. सरकारी चेकों के लिए विशेष समाशोधन हेतु, नियमित सत्र के समय के बाद एनपीसीआई द्वारा एकल सत्र आयोजित किया जाता है।

D. विदेशों में देय चेक - विदेशी मुद्रा चेक, बैंक शाखा के व्यावसायिक घंटों के दौरान स्वीकार किए जाएंगे।

a. ऐसे लिखतों में अत्यधिक जोखिम को देखते हुए विदेशी मुद्रा चेकों का तत्काल क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। कम मूल्य के चेक के लिए, ग्राहक खाता धारक शाखा से संपर्क कर सकता है और जल्दी धन प्राप्त करने के लिए कूलिंग अवधि (यदि कोई हो) की छूट का अनुरोध कर सकता है।

b. विदेशी केंद्रों पर देय विदेशी मुद्रा चेकों को संवाददाता बैंकों की सेवाओं का उपयोग करके संयोजित किया जाएगा। जिन केंद्रों पर बैंक या उसके संवाददाताओं की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है, वहां विदेशी बैंकों पर तैयार किए गए चेक सीधे आदाता बैंक को भेजे जाएंगे, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि वे प्राप्तियों को एक्सिस बैंक के संवाददाता बैंक के साथ बनाए रखे गए संबंधित नोस्ट्रो खाते में जमा करें।

c. चेक संग्रह निम्नलिखित मापदंडों के भीतर होगा:

- विदेशी मुद्रा चेक/लिखतों के लिए संग्रहण का तरीका मुद्रा, आहरणकर्ता स्थान, लिखत की राशि पर निर्भर करेगा और इसकी सूचना ग्राहक को दी जाएगी।

d. वर्तमान में, बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे संवाददाता बैंक से अमरीकी डालर अंकित चेक/लिखतों के लिए 'अंतिम क्रेडिट सेवा' का लाभ उठाता है जिसके अंतर्गत (बिना किसी उपाय के) अंतिम क्रेडिट प्राप्त होता है। विदेशी मुद्रा चेक के लिए क्रेडिट 24 वें कार्य दिवस तक नोस्ट्रो खाते में प्राप्त किया जाता है और ग्राहक के खाते को अगले कार्य दिवस पर नोस्ट्रो क्रेडिट की मूल्य तिथि के साथ क्रेडिट किया जाता है।

e. बैंक, लागू मुद्राओं में अंकित विदेशी मुद्रा चेक/लिखतों के लिए (समय-समय पर साझेदार बैंक के साथ व्यवस्था के अनुसार) हमारे संवाददाता बैंकों से 'कैश लेटर स्कीम' का भी लाभ उठाता है। संवाददाता बैंक इस योजना के तहत दर्ज किए गए लिखतों से संबंधित अनंतिम क्रेडिट बैंक के नोस्ट्रो खाते में इस शर्त पर प्रदान करते हैं कि संवाददाता बैंक इस तरह का अनंतिम क्रेडिट प्रदान के बाद किसी भी चेक रिटर्न की प्राप्ति पर नोस्ट्रो खाते को डेबिट कर सकता है। नोस्ट्रो खाते से बाद में डेबिट की जा सकने वाली निधियों के उपयोग के जोखिम से बचाने के लिए, बैंक ग्राहक के खाते को क्रेडिट करने से पहले नोस्ट्रो खातों में प्राप्त क्रेडिट को संबंधित देशों पर लागू होने वाली कुछ शीतलन अवधि (12 से 18 दिनों तक, जैसा कि स्थानीय नियमों द्वारा शासित किया गया हो) के लिए बनाए रखता है।

f. 'अंतिम ऋण सेवा' और 'नकद पत्र योजना' की सुविधाएं, जैसी कि ऊपर बताई गई हैं, विदेशों में संवाददाता बैंकों के प्रावधानों के अधीन होती हैं और इस प्रकार, अन्य मुद्राओं या भौगोलिक क्षेत्रों में वापस ले ली जा सकती हैं या प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा, बैंक भी अपने विवेक से प्राप्त चेकों की मात्रा, सेवा प्रदान करने की लागत और किसी अन्य व्यवसाय/अनुपालन/जोखिम कारकों जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर इन सुविधाओं के तहत अनुमत मुद्राओं/भौगोलिक क्षेत्रों/ग्राहक खंडों को वापस लेने या विस्तारित करने का निर्णय ले सकता है।

g. विदेशी मुद्रा चेक जो 'अंतिम क्रेडिट सेवा' या 'कैश लेटर स्कीम' के तहत दर्ज नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें सीधे आदाता बैंक को भेजने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि वे संवाददाता बैंक के साथ धारित एक्सिस बैंक के संबंधित नोस्ट्रो खाते में प्राप्तियों को जमा करें। ऐसे चेक सीधे संग्रह के तहत तभी भेजे जाते हैं जब आहरणकर्ता बैंक के पास चेक संग्रह की केंद्रीकृत सुविधा हो। प्रत्यक्ष संग्रह पर भेजे गए चेकों के लिए, खाते में क्रेडिट प्राप्त करने के लिए ग्राहक को कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी गई है। इसी प्रकार, प्रत्यक्ष संग्रह के लिए भेजे गए चेकों के लिए, बैंक के लागू चेक संग्रह शुल्क के अलावा, आहरणकर्ता बैंक और संवाददाता बैंक द्वारा चेक की प्राप्तियों से और कटौती हो सकती है, जिसकी मात्रा चेक दर्ज करते समय पता नहीं लगाई जा सकती है। संवाददाता बैंक के साथ धारित बैंक के नोस्ट्रो खाते में धन की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस पर ग्राहक के खाते को क्रेडिट किया जाता है।

h. ग्राहक के खाते में क्रेडिट प्रविष्टि, बैंक के नोस्ट्रो खाते में धन जमा करने की मूल्य तिथि के आधार पर मूल्य दिनांकित होगी।

i. ग्राहक खाते में निधि और क्रेडिट के आवेदन की तारीख को प्रचलित एक्सचेंज रेट (टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट) लागू किया जाएगा।

j. चेक की वापसी के मामले में, ग्राहक के खाते में डेबिट प्रविष्टि बैंक के नोस्ट्रो खाते में धन के डेबिट की मूल्य तिथि के आधार पर दिनांकित होगी। ऐसे मामलों में विनिमय दर जोखिम ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा।

k. यह शुल्क संग्रह के उस तरीके पर निर्भर करेगा जिसके अंतर्गत चेक/लिखत को संग्रहण के लिए भेजा जाता है और जैसा कि बैंक की प्रभार अनुसूची में उल्लेख किया गया है।

l. संग्रह पर भेजे गए विदेशी मुद्रा चेकों के लिए, संवाददाता बैंक शुल्क और कूरियर शुल्क भी लगाए जाएंगे, जहां भी लागू हों।

E. विलंबित क्रेडिट के लिए मुआवजा

a. संग्रह आधार पर भेजे गए चेक/लिखतों के लिए, बैंक अपने संवाददाता बैंक के साथ धारित बैंक के नोस्ट्रो खाते में प्राप्तियां जमा होने के बाद संग्रह के मूल्य को दिनांकित करेगा।

b. राशि क्रेडिट के लिए देय होने की तारीख से अधिक देरी के मामले में, विनिमय दर के किसी भी प्रतिकूल संचलन के लिए मुआवजा देय है।

c. विदेशी मुद्रा में लिखतों के संग्रहण में देरी के कारण, जिस तारीख को राशि क्रेडिट के लिए देय है उसके बाद दो कार्य दिवसों से लेकर ग्राहक के खाते में क्रेडिट की वास्तविक तारीख तक की अवधि तक के लिए मुआवजे का भुगतान ऊपर उल्लिखित मुआवजे के अनुसार भारतीय रुपये में किया जाएगा। स्पष्टता के लिए, जिस दिन क्रेडिट के लिए राशि देय होती है, उसकी गणना नीचे दिए गए अनुसार की जाती है:

- 'अंतिम क्रेडिट सेवा' के तहत दर्ज किए गए या आहरणकर्ता बैंक से सीधे संग्रह के लिए भेजे गए चेक/लिखत: भारत में कार्य दिवस जो विदेशी मुद्रा चेक से संबंधित नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की मूल्य तिथि के तुरंत बाद आते है।

- 'कैश लेटर स्कीम' के तहत दर्ज किए गए चेक/लिखत: विदेशी मुद्रा चेक के लिए लागू शीतलन अवधि के पूरा होने के तुरंत बाद के भारत में कार्य दिवस।

F. स्थानीय/बाहरी/विदेशी मुद्रा चेक/लिखतों का तत्काल क्रेडिट

a. बैंक की कुशल समाशोधन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय चेकों का तत्काल क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करता है कि चेकों की प्राप्तियों की वसूली में देरी न हो। जिन केंद्रों पर कोई क्लियरिंग हाउस मौजूद नहीं है, वहां संग्रह शाखा अपने स्वयं के एसओएल का उपयोग करके, पास की शाखा के माध्यम से सीटीएस क्लियरिंग में चेक (चेकों) को प्रस्तुत करेगी।

b. बैंक की शाखाएं/विस्तार काउंटर, व्यक्तिगत खाता धारकों के संग्रहण के लिए प्रस्तुत 15,000/- रुपये (किसी भी समय प्रति खाता बकाया अधिकतम सीमा) तक के कुल मूल्य के एक्सिस बैंक केंद्रों पर तैयार किए गए बाहरी चेकों/लिखतों के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान करेंगे, बशर्ते कि ऐसे खातों का कम से कम 6 महीने की अवधि से संतोषजनक संचालन रहा हो।

c. खाते के संतोषजनक आचरण, ग्राहक की साख और ग्राहक की आवश्यकता की वास्तविकता को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने के बाद शाखा प्रमुख के एकमात्र विवेकाधिकार पर तत्काल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।

d. यह सुविधा ग्राहकों के बचत बैंक/चालू/नकद ऋण खातों को दी जाएगी।

e. इस नीति के तहत डिमांड ड्राफ्ट, ब्याज/लाभांश वारंट जैसे प्रीपेड लिखतों को चेक के बराबर माना जाना चाहिए।

f. ऐसे प्रत्येक मामले पर सामान्य संग्रह शुल्क के अलावा फ्लैट शुल्क के रूप में 250 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

g. इस नीति के प्रयोजन के लिए, संतोषजनक रूप से संचालित खाता वह है जो निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करेगा :

- कम से कम छह महीने पहले खोला गया हो और केवाईसी मानदंडों का पालन करता हो।
- जिसका आचरण संतोषजनक रहा है और बैंक की दृषि से कोई भी अनियमित लेन-देन नहीं हुआ हो।
- जहां कोई भी चेक/लिखत जिसके लिए तत्काल क्रेडिट दिया गया था, वित्तीय कारणों से बिना भुगतान किए वापस नहीं किया गया हो।
- जहां बैंक ने तत्काल क्रेडिट देने के बाद लौटाए गए चेक सहित पूर्व में दी गई किसी भी राशि की वसूली में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया हो।
- कम से कम 2 पूर्ववर्ती तिमाहियों के लिए औसत तिमाही शेष (एक्यूबी) बनाए रखने की शर्त का पालन किया गया हो।

h. तत्काल क्रेडिट निम्नलिखित मानदंडों के भी अधीन होगा:
- खाता भारतीय रुपये में होना चाहिए।
- चेक/डीडी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर तैयार किया जाना चाहिए, जो भारत में देय हो (सहकारी बैंक को छोड़कर)।
- यह सुविधा ग्राहक को केवल उसकी आधार शाखा में ही दी जाएगी।
- चेक पोस्ट-डेटेड/ आउट ऑफ डेट / आउट ऑफ डेट के पास नहीं होंगे (समाशोधन में रिटर्न के जोखिम से बचने के लिए)। चेक, चेक की समाप्ति की तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पहले का होना चाहिए।
- खाता 'निष्क्रिय' नहीं होना चाहिए।
- तत्काल क्रेडिट की राशि, चाहे एकल या एकाधिक चेक / डीडी के लिए हो, किसी भी समय पात्र खाते में 15,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
- चेक/डीडी का आंशिक तत्काल क्रेडिट नहीं होना चाहिए।
- चेक किसी अन्य खाते से ग्राहक का अपना चेक नहीं होना चाहिए यानी खुद पर तैयार किया गया चेक स्वीकार्य नहीं होगा।
- तत्काल क्रेडिट की सुविधा, स्पीड क्लियरिंग व्यवस्था के तहत संग्रह किए गए चेकों पर लागू नहीं होगी।
- नुकसान, धोखाधड़ी और ग्राहकों के मुद्दों की मात्रा को देखते हुए तत्काल क्रेडिट की नीति की सालाना समीक्षा की जाएगी।

i. ऐसे लिखतों में अत्यधिक बढ़े हुए जोखिम को देखते हुए विदेशी मुद्रा चेकों का तत्काल क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। कम मूल्य के चेक के लिए, ग्राहक खाता धारक शाखा से संपर्क कर सकता है और जल्दी निधि प्राप्त करने के लिए लिए शीतलन अवधि (यदि कोई हो) की छूट का अनुरोध कर सकता है।

j. तत्काल क्रेडिट दिए जाने पर भुगतान के बिना लौटाए गए चेक पर ब्याज प्रभारित करना - चेक को भुगतान के बिना वापस किए जाने की स्थिति में, चेक का मूल्य तुरंत खाते में डेबिट कर दिया जाएगा। बैंक की प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर) पर चेक के क्रेडिट की तारीख से उस तारीख तक ब्याज लिया जाएगा, जिस तारीख को ग्राहक राशि का भुगतान करता है, चेक की वापसी की तारीख पर खाते में अपर्याप्त शेष राशि के मामले में, ऐसे मामलों में चेक रिटर्न शुल्क लगाया जाएगा।

G. स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद

बैंक अपने विवेक के अनुसार संग्रह के लिए दिए गए स्थानीय/बाहरी चेक को पूर्व व्यवस्था के अनुसार खरीदेगा। खाते के संतोषजनक संचालन के अलावा, चेक खरीदते समय चेक के आहरणकर्ता की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा। स्पीड क्लियरिंग व्यवस्था के तहत संग्रह किए गए चेकों पर बाहरी चेक की खरीद की सुविधा लागू नहीं होगी।

H. भुगतानकर्ता बैंक द्वारा बिना भुगतान किए लौटाए गए चेक

a. स्थानीय/ सीटीएस क्लियरिंग में प्रस्तुत किए गए या संग्रह के लिए भेजे गए चेक को बिना भुगतान किए लौटाए जाने की स्थिति में, लिखत को वापसी के कारण प्रदान करने वाली सलाह के साथ खाताधारक को बैंक के साथ दर्ज उसके मेलिंग पते पर भेजा जाएगा। खाता धारक की सहमति से खाता धारक या उसके प्रतिनिधि को भी लिखत सौंपा जा सकता है। बैंक की प्रभारों की अनुसूची के अनुसार लागू शुल्क लगाए जाएंगे।

b. चेक रिटर्न शुल्क केवल उन मामलों में लगाया जाएगा जहां ग्राहक की गलती है और वह इस तरह के रिटर्न के लिए जिम्मेदार है। रिटर्न के कारणों की उदाहरणात्मक सूची, जहां ग्राहकों की गलती नहीं है, अनुलग्नक -I के रूप में संलग्न है।

c. जिन चेकों को भुगतानकर्ता के किसी भी सहारे के बिना पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, उन्हें ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट, ईमेल आदि के माध्यम से ऐसी पुन: प्रस्तुति के विषय में उचित अधिसूचना के साथ अधिकतम 24 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) के भीतर अगले प्रस्तुति समाशोधन में तुरंत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

d. बिना भुगतान किये हुए लौटाए गए विदेशी मुद्रा चेकों के लिए, जिसमें चेक जमा किया गया है उस खाते से संवाददाता बैंक द्वारा लागू रिटर्न शुल्क, कूरियर शुल्क और कोई अन्य लागू शुल्क और साथ ही यदि चेक पहले से ही जमा किया गया है तो लिखत का मूल्य डेबिट किया जाएगा।

e. बैंक को सेवाएं निष्पादित करने का निर्देश देने वाला ग्राहक विदेशी कानूनों और उपयोगों द्वारा लगाए गए सभी दायित्वों और जिम्मेदारियों के खिलाफ बैंक की क्षति से सुरक्षा करने के लिए बाध्य और उत्तरदायी होगा। विदेशी केंद्रों पर तैयार किए गए चेक जमा करने वाले ग्राहकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आहरणी देशों में प्रचलित चेक संग्रह करने से संबंधित उपयोग / प्रथाओं और कानूनों से अवगत हों।

f. संग्रह करने वाले बैंक द्वारा संग्रह करने के लिए भेजे गए चेकों को धोखाधड़ी/वित्तीय कारणों से किसी भी विदेशी देश में स्थित बैंकों द्वारा (समाशोधन/संग्रहण में उनकी प्रस्तुति के बाद) वापस किया जा सकता है। धोखाधड़ी वाले चेकों को विदेशों में स्थिति बैंकों द्वारा उनकी प्रस्तुति के बाद किसी भी समय वापस किया जा सकता है।

g. ऐसे लौटाए गए चेकों के मामले में, संग्रह करने वाले बैंक को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। चूंकि विदेशी बैंक अपने नोस्ट्रो खाते को डेबिट करके संग्रह करने वाले बैंक के खाते में पहले जमा किए गए चेक की राशि की वसूली करता है, इसलिए संग्रह करने वाला बैंक धोखाधड़ी / वित्तीय कारणों से लौटाए गए चेक के लिए जमाकर्ता को कोई मुआवजा प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा।

h. इसके अलावा, बैंक को जमाकर्ता के खाते में जमा किए गए चेकों की प्राप्तियों (विदेशी बैंक द्वारा प्रचलित विनिमय दर पर संग्रह करने वाले बैंक के नोस्ट्रो खाते में डेबिट की गई विदेशी मुद्रा राशि के बराबर) के साथ-साथ प्राप्तियों के क्रेडिट की तारीख से राशि की वसूली की तारीख तक ब्याज को वसूल करने का अधिकार है। विदेशी मुद्रा लिखतों के लिए कृपया बिंदु (D) के खंड (j) विदेशी मुद्राओं में देय चेक को देखें।

i. इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर कलेक्शन (आईसीसी-522) में दिए गए विभिन्न अनुच्छेद चेक के संग्रह के लिए लागू होंगे।

2. स्थानीय/बाहरी चेक/लिखतों के संग्रहण के लिए समय-सीमा

क्रमांक	चेक का प्रकार	समय मानदंड	टिप्पणियां
1.	स्थानीय चेक	निधियों के निपटान पर।	स्थानीय चेक क्लियरिंग हाउस के अधिकार क्षेत्र के भीतर देय होते हैं और केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे । 1 अक्टूबर 2021 से, बैंक की सभी शाखाओं को अनिवार्य रूप से सीटीएस समाशोधन में भाग लेना आवश्यक है। शाखाओं द्वारा प्राप्त सभी चेकों को एकत्रित करने वाली शाखा द्वारा सीटीएस समाशोधन के लिए अपने स्वयं के एसओएल के माध्यम से या अपने एसओएल का उपयोग करके पास की शाखा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां चेक संग्रह करने वाली शाखा द्वारा पास की शाखा के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, मूल लिखतों को भंडारण के लिए संग्रह शाखा में वापस लाया जाएगा। स्थानीय चेकों से उत्पन्न क्रेडिट सापेक्ष रिटर्न समाशोधन संपन्न होने के बाद ग्राहकों के खातों में तुरंत दिया जाएगा और उसी दिन या सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन अगले कार्य दिवस पर व्यवसाय शुरू होने के अधिकतम एक घंटे के भीतर निकासी की अनुमति दी जाएगी। उपर्युक्त मानदंड असाधारण परिस्थितियों में क्लियरिंग हाउस द्वारा रिटर्न क्लियरिंग समय के विस्तार के अधीन भी है, जिससे दी गई सलाह के अनुसार निकासी की अनुमति देने में देरी हो सकती है।
2.	सभी पर तैयार किए गए बाहरी चेक	सात कार्य दिवस	कार्य दिवसों में बैंक की छुट्टियां और ऐसे दिन शामिल नहीं होंगे जब क्लियरिंग हाउस चालू या कार्यशील नहीं है।

क्रमांक	चेक का प्रकार	समय मानदंड	टिप्पणियां
	राज्यों की राजधानियां		दोनों छोरों/केंद्रों पर दिनों पर विचार किया जाएगा।
3.	किसी प्रमुख शहर पर तैयार किए गए बाहरी चेक।	दस कार्य दिवस	- " -
4.	अन्य सभी स्थानों पर तैयार किए गए बाहरी चेक।	चौदह कार्य दिवस	बैंकों को इस उद्देश्य के लिए संवाददाता/आहरणकर्ता बैंकों पर निर्भर रहना होगा।
5.a	सीटीएस क्लियरिंग में संग्रह के लिए भेजे गए चेक	ग्राहक द्वारा लिखत जमा करने के समय और स्थान (शाखा/सीडीके) के आधार पर T+0। जमा के लिए कट ऑफ समय शाखा से शाखा, शहर से शहर और ग्रिड से ग्रिड में भिन्न हो सकता है। हालांकि, बैंकों पर तैयार किए गए चेक जिनकी उपस्थिति किसी विशेष भौगोलिक स्थित तक सीमित है, ऐसे लिखतों को बाहरी लिखतों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और वसूली के लिए समय सीमा तालिका के बिंदु संख्या 2 में उल्लेख किए गए अनुसार होगी।सरकारी चेक जिन्हें पी 2 एफ के माध्यम से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, उन्हें विशेष रूप से केवल स्थान/केंद्र भेजा जाना चाहिए।	संबंधित ग्रिड पर लागू रिटर्न के कट ऑफ समय के आधार पर क्रेडिट की वसूली।
5.b	सीटीएस क्लियरिंग के लिए भेजे गए चेक	ग्रिड में घोषित छुट्टियों के अनुसार	तीन ग्रिड हब केन्द्रों में छुट्टियों के समान कैलेंडर का अनुपालन किया जाता है।

श्री नहीं	चेक का प्रकार	समय मानदंड	टिप्पणियां
	ग्रिड के लिए एक समान छुट्टियों का कैलेंडर		इस कैलेंडर के अनुसार तीनों ग्रिडों में ग्रिड हब केंद्र अर्थात चेन्नई/दिल्ली/मुंबई अधिकांश छुट्टियों पर काम करेंगे, भले ही ग्रिड के अन्य स्थानों की छुट्टियां हों। छुट्टियों के एक समान कैलेंडर के अनुसार, ग्रिड हब केंद्र अधिसूचित दिनों में बंद रहेंगे और ऐसे अवसरों पर ग्रिड हब के अगले कार्य दिवस पर ग्राहक को क्रेडिट दिया जाता है। ग्रिड के लिए छुट्टियों का एक समान कैलेंडर निकटतम शाखा में उपलब्ध होगा।
6.	नॉन-सीटीएस क्लियरिंग में कलेक्शन के लिए भेजे गए चेक	31 दिसंबर 2018 से बंद	सीटीएस के तहत गैर सीटीएस अनुपालन चेक के लिए अलग सत्र 31.12.2018 से बंद कर दिया गया है। ऐसे लिखतों को सीटीएस समाशोधन के माध्यम से मंजूरी नहीं दी जाएगी और बिना भुगतान के वापस कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2021 से, बैंक की सभी शाखाओं को सीटीएस समाशोधन में अनिवार्य रूप से भाग लेने की आवश्यकता है। गैर-सीटीएस/ओवर द काउंटर समाशोधन तब से बंद कर दिया गया है।
7.	विदेशों पर तैयार किया गया चेक।	सर्वोत्तम प्रयास आधार	संबंधित देशों पर लागू शीतलन अवधि को ध्यान में रखते हुए बैंक संवाददाता बैंक के साथ बैंक के नोस्ट्रो खाते में प्राप्तियों के क्रेडिट पर पार्टी को क्रेडिट देगा।

संग्रह के लिए ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा को बाहरी सीमा के रूप में माना जाएगा और यदि संग्रह की प्रक्रिया पहले पूरी हो जाती है तो क्रेडिट पहले दिया जाएगा।

बैंक संग्रह के लिए ग्राहकों द्वारा जमा किए गए बाहरी चेक स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगा।

3. **स्थानीय/सीटीएस/बाहरी चेकों के विलंबित संग्रहण पर ब्याज का भुगतान**

a. क्रेडिट देने में ऊपर उल्लिखित समय-अवधि से अधिक देरी होने पर बैंक ग्राहक को संग्रह लिखत की राशि पर लागू बचत बैंक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। इस गणना के लिए विलंब की अवधि, स्थानीय/बाह्य लिखतों के संग्रहण के लिए समय-सीमा सारणी में दर्शाए गए टर्नअराउंड समय की समाप्ति से लेकर लिखत की प्राप्ति की तारीख तक होगी।

b. यह भुगतान सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों से किसी भी मांग के बिना किया जाएगा। विलंबित संग्रह पर ब्याज के भुगतान के उद्देश्य से बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों पर तैयार किए गए लिखतों के बीच कोई अंतर नहीं होगा, सिवाय उन कारणों के जो बैंक के नियंत्रण से बाहर हैं। ब्याज भुगतान केवल भारत के भीतर संग्रह के लिए भेजे गए लिखतों (INR में तैयार) के लिए लागू होगा।

4. खाता आदाता चेकों का संग्रह - प्राप्तियों को तीसरे पक्ष के खाते में जमा करने पर प्रतिबंध

भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र *DBOD.BP.BC.No.56/21.01.001/2005-06* दिनांक 23 जनवरी, 2006 के अनुसार बैंकों को उसमें नामित आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में खाता आदाता चेक जमा करने से प्रतिबंधित किया गया है।

अनधिकृत संग्रहों से उत्पन्न देनदारियों के बोझ तले दबने से बैंकों को बचाने के लिए, और भुगतान और बैंक प्रणाली की अखंडता और सुदृढ़ता के हित में, और हाल के दिनों में देखे गए विचलनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 'खाता आदाता' चेक को उसमें लिखे हुए प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करने से रोकना आवश्यक समझा है। तदनुसार, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित किया गया है, बैंक आदाता घटक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए खाता आदाता चेक संग्रह नहीं करेगा।

इसके अलावा, खाता आदाता चेक के संग्रह में सहकारी क्रेडिट समितियों के सदस्यों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, हमारे परिपत्र DBOD.BP.BC.No. 47/21.01.001/2010-11 दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 द्वारा छूट दी गई थी। उक्त परिपत्र के अनुसार, बैंक अपने उन ग्राहकों के खाते में अधिकतम 50,000/- रुपये की राशि के लिए तैयार किए गए खाता आदाता चेक संग्रह करने पर विचार कर सकते हैं, जो सहकारी क्रेडिट समितियां हैं, यदि ऐसे चेकों के भुगतानकर्ता ऐसी सहकारी समितियों के घटक हैं। जैसा कि ऊपर संदर्भित 1 अक्टूबर, 2010 के परिपत्र में उल्लिखित है, छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है-

- उपर्युक्त चेकों को संग्रह करते समय, बैंकों को संबंधित सहकारी समितियों द्वारा लिखित रूप में यह स्पष्ट अभ्यावेदन दिया जाना चाहिए कि, प्राप्ति होने पर, चेकों की प्राप्तियां केवल सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के सदस्य के खाते में जमा की जाएगी, जो चेक में नामित आदाता है। तथापि, यह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 131 सहित उपबंधों की अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन होगा।
- संग्रह करने वाला बैंक ऐसी सहकारी ऋण समितियों के संबंध में उचित जांच-पड़ताल करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के केवाईसी दस्तावेज सोसायटी के रिकॉर्ड में संरक्षित हैं और जांच के लिए बैंक के पास उपलब्ध हैं।

- तथापि, संग्रह करने वाले बैंकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि चेक के सच्चे मालिक द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में , चेक के सच्चे स्वामी के अधिकार इस परिपत्र से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं और बैंकों को यह स्थापित करना होगा कि उन्होंने चेक संग्रह करते समय नेक नीयत से और लापरवाही के बिना कार्य किया है।

5. **नकदी प्रबंधन सेवाएं**

सीएएसएच प्रबंधन सेवाओं (सीएमएस) का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए, बैंक और ग्राहकों के बीच द्विपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुसार लिखतों का संग्रह किया जाता है। जुर्माना, यदि कोई हो, द्विपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुसार देय होगा।

6. **पारगमन /समाशोधन प्रक्रिया में या बैंक की शाखा को भुगतान करने में चेक/लिखत का खो जाना**

a. यदि कोई चेक या संग्रह के लिए स्वीकार किया गया लिखत पारगमन में या समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतान करने वाले बैंक की शाखा में खो जाता है, तो बैंक खो जाने के बारे में पता चलने पर, तुरंत इसकी जानकारी खाताधारक को देगा ताकि खाताधारक चेक तैयार करने वाले को चैक का भुगतान रोकने का आदेश रिकॉर्ड करने के लिए सूचित कर सके और यह भी ध्यान रख सके कि उसके द्वारा जारी चेक, यदि कोई हों, खोए हुए चेक / लिखतों की राशि क्रेडिट न होने के कारण अस्वीकृत न हों।

b. यदि भुगतान करने वाले बैंक की शाखा में चेक/लिखत खो गया है, तो संग्रह करने वाली शाखा को भुगतान करने वाले बैंकर से चेक/लिखत के नुकसान के लिए ग्राहक को प्रतिपूर्ति किए गए शुल्क/ब्याज व्यय सहित राशि की वसूली करने का अधिकार होगा।

c. बैंक चेक के आहरणकर्ता से डुप्लिकेट लिखत प्राप्त करने के लिए ग्राहक को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। यह केवल भारत के भीतर देय INR में तैयार किए गए लिखतों पर लागू होगा।

d. बैंक पारगमन में खोए गए साधनों के संबंध में खाताधारक को निम्नानुसार मुआवजा देगा और भुगतान करने वाले बैंक से इसकी वसूली करेगा।

e. यदि वसूली के लिए निर्धारित समय सीमा (7/10/14 दिन, जैसा भी मामला हो) के बाद ग्राहक को लिखत के नुकसान के बारे में सूचित किया जाता है, तो लागू बचत बैंक दर पर निर्धारित संग्रह अवधि से अधिक अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, डुप्लिकेट चेक/लिखत को जमा करने और उसके संग्रह में और देरी होने की संभावना के कारण बैंक चेक की राशि पर बचत बैंक दर पर 15 दिनों की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा।

f. यदि लिखत किसी बैंक/संस्थान से प्राप्त किया जाना है जो डुप्लिकेट लिखत जारी करने के लिए शुल्क लेगा तो बैंक ग्राहक को रसीद प्रस्तुत करने पर डुप्लिकेट चेक/लिखत प्राप्त करने में लगने वाले किसी भी उचित प्रभार के लिए भी प्रतिपूर्ति करेगा।

g. संवाददाता बैंक द्वारा प्राप्त होने से पहले खोए गए विदेशी मुद्रा चेक के लिए, बैंक संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले ग्राहक पर लगने वाला स्टॉप पेमेंट शुल्क वहन करेगा। विदेशी मुद्रा चेक के लिए प्रतिपूर्ति केवल

तभी लागू होगी जब बैंक या उसके संवाददाता बैंक चेक खो देते हैं। ऐसे मामले में मुआवजा निम्नानुसार होगा:

- यदि ग्राहक को लिखत खो जाने के बारे में संग्रहण के लिए निर्धारित समय के बाद सूचित किया जाता है, तो लागू बचत बैंक दर पर निर्धारित संग्रह अवधि से अधिक अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

- यदि लिखत किसी बैंक/संस्था से प्राप्त किया जाना है जो डुप्लिकेट लिखत जारी करने के लिए शुल्क लेगा तो बैंक डुप्लिकेट चेक/लिखत प्राप्त करने में ग्राहक को लगने वाले किसी भी उचित शुल्क के लिए रसीद प्रस्तुत करने पर ग्राहक को मुआवजा भी देगा।

- बैंक विदेशी मुद्रा चेक के मामले में विदेशी मुद्रा विनिमय दर के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली किसी भी संभावित हानि के लिए भी क्षतिपूर्ति करेगा। इस प्रकार मुआवजे की गणना संग्रह के लिए निर्धारित समय के आधार पर की जाएगी ।

अप्रत्याशित घटना

यदि किसी अप्रत्याशित घटना (नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, दुर्घटना, आग लगने, आतंकवादी हमले, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य "दैवीय प्रकोपों", युद्ध, बैंक की सुविधाओं या इसके संवाददाता बैंक (बैंकों) को नुकसान, बैंक के नियंत्रण से परे सभी प्रकार के संचार के सामान्य साधनों की अनुपस्थिति आदि) से बैंक को निर्दिष्ट सेवा वितरण मापदंडों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने में विलम्ब होता है तो बैंक विलंबित क्रेडिट के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

****

AXIS BANK

अनुलग्नक ।

ऐसी आपत्तियों के कुछ उदाहरणों की सूची नहीं है जहां ग्राहकों की गलती नहीं है

(बैंकर्स क्लियरिंग हाउसों के लिए एक समान विनियमों और नियमों के लिए लिखत और छवि-आधारित चेक समाशोधन के लिए लागू)

कोड नं.	**वापसी का कारण**
33	उपकरण विकृत; बैंक की गारंटी की आवश्यकता है।
35	क्लियरिंग हाउस स्टैम्प / तिथि आवश्यक है।
36	गलत तरीके से वितरित किया गया / हम पर तैयार नहीं किया गया।
37	उचित क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाए।
38	लिखत में बाहरी पदार्थ हैं।
39	छवि स्पष्ट नहीं है; कागजी रूप के साथ फिर से प्रस्तुत करें।
40	दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें।
41	दो बार सूचीबद्ध आइटम।
42	कागज प्राप्त नहीं हुआ।
60	दो बैंकों पर क्रास।
61	क्रॉसिंग स्टैम्प रद्द नहीं किया गया।
62	क्लियरिंग स्टैम्प रद्द नहीं किया गया।
63	लिखत विशेष रूप से दूसरे बैंक में क्रास किया गया।
67	भुगतानकर्ता का अनुमोदन अनियमित है / संग्रह करने वाले बैंक की पुष्टि की आवश्यकता है।
68	चिह्न / अंगूठे के निशान के आधार पर किए गए अनुमोदन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा मुहर के साथ सत्यापन की आवश्यकता होती है।
70	सलाह नहीं मिली।
71	सलाह पर राशि/नाम अलग-अलग है।
72	प्रायोजक बैंक के साथ आहरणी बैंक की निधि अपर्याप्त (उप-सदस्यों पर लागू)
73	बैंक को भुगतानकर्ता द्वारा अलग से भुगतान करना आवश्यक है।
74	पहली तिमाही तक देय नहीं।
75	वेतन आदेश के लिए काउंटर हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है
76	आवश्यक जानकारी पठनीय/ सही नहीं है।
80	बैंक का प्रमाण पत्र अस्पष्ट / अपूर्ण / आवश्यक है।
81	जारी करने वाले कार्यालय से ड्राफ्ट खो गया; जारी करने वाले कार्यालय से पुष्टि आवश्यक है।
82	बैंक / शाखा ब्लॉक।
83	डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन विफल।
84	अन्य कारण- कनेक्टिविटी विफल।
87	'भुगतानकर्ता का खाता क्रेडिट किया गया' - स्टाम्प आवश्यक है
92	बैंक बाहर किया गया।